आदेशिका / कार्यवाही

9-10-21 वकील वादीगण / प्रार्थी उप० / पी० ओ० साहब अन्यकार्य में व्यस्त हैं दिनांक 15-11-21 को पेश हो।

2 व -11-21 आज पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्रा०पं० मुख्यालय पर पेश हुई निर्णय नहीं हो सका 19-1-22 को पेश हो।

19-1-22 वकील पक्षकारान उप० / वास्ते बहस दफा 7(11) आ० दी० दिनांक 9-3-22 को पेश हो।

9-3-22 वकील पक्षकारान उप० / वास्ते बहस आयन्दा दिनांक 27-4-22 को पेश हो।

27-4-22 वकील पक्षकारान उप० / वास्ते बहस आयन्दा दिनांक 29-6-22 को पेश हो।

29-6-22 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब ~~अन्य कार्य में व्यस्त हैं~~/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 17-8-22 को पेश हो।

रीडर

17/8/22 पत्रावली पेश हुई। बमुलाय फरीकैन उप० 5 एच २।। पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 24/8/22 को पेश हो।

24/8/22 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई दौराने बहस प्रार्थना पत्र पेशकर्ता अधिवक्ता का कथन था कि दफा 188 RTA के तहत काश्तकार तभी वाद ला सकता है यदि वह एकमात्र काश्तकार हो या फिर जमाबन्दी में अंकित समस्त काश्तकारों को पक्षकार बनाया गया हो चूँकि वादी का 1/2 भाग

है परन्तु यह नही बताया जा सकता है कि प्रत्येक 1/2 भाग है तो वह कैसे अस्थायी निषेधाज्ञा वाद ला सकता है एवं अन्त मे निवेदन किया प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए वादी को आदेशित किया जावे की सहकाश्तकारो को भी पक्षकार बनावें। बहस के जवाब मे प्रतिवादी अधिवक्ता ने कथन किया कि मुझे जिन व्यक्तियो से अनुतोष चाहा गया था उनको वाद मे पक्षकार बनाया गया है अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद है सहखातेदारो से कोई अनुतोष नही चाहा गया है अत: उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है।

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादी की स्वयं की आराजी ना होकर सहखातेदारी की आराजी है एवं सहखातेदारी की आराजी के प्रत्येक भाग पर सभी सहकाश्तकारो का हक हिस्सा निहित होता है एवं बिना तकासमा के हिस्से का निर्धारण नही किया जा सकता है हिस्सा निर्धारित किए बिना एवं बाकी सहकाश्तकारो को बिना पक्षकार बनाए अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद लाया यह न्यायालय उचित नही समझता है अत: आदेश है कि sec. 211 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह वाद मे शेष रहे सहकाश्तकारो को नियमानुसार पक्षकार बनावें। पत्रावली वास्ते संशोधित वादपत्र दिनांक 21-9-22 को पेश हो।

21-9-22 वकील पक्षकारान उपस्थित वास्ते पेश करने संशोधित वादपत्र दिनांक 16-11-22 को पेश हो।

16-11-22 वकील पक्षकारान उपस्थित वकील वादी संशोधित वादपत्र आज ही आवश्यक रूप से पेश करें दिनांक 28-12-22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

क	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	आदेश / कार्यवाही
-12-22	वकील पक्षकारान उप० । वकील वादी संशोधित वाद पत्र पेश करने का मौका चाहता है। अतः दिनांक 04-01-23 को पेश हो। [signature]
-01-23	वकील पक्षकारान उप० । वकील वादी ने आज भी संशोधित वाद पत्र पेश नहीं किया। पूर्व में कई मौके दिये जा चुके है। न्यायहित में अंतिम मौका दिया जाकर दिनांक 18-01-23 को पेश हो। [signature]
/01/23	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाई गई। सांय 5 बजे तक वकील वादी / वादिया उप० नहीं। अतः वाद वादिया अदम हाजरी / पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल लेख चस्पार हो। [signature]